

क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

विषय निधि मवन, चारकोप पोयसर रोड, कॉदिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०६७

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER Bhavishya Nidhi Bhavan, Charkop Polser Road, Kandivil (W), Mumbai

Bhavishya Nidhi Bhavan, Charkop Poiser Road, Kan	divil (W), Mumbal
सं./ महा / म. नि. / प्रयोज्यता NO. MN/PF/APP/ 211059/10/5/20/100/100/28? सेवा मे	Rents Date: 24/06/08
PLOT NO. 87, Ganera Napai fron Incl. Estale, Icandivali (IN) Munibai - 400067	
विषय : कर्मचारी मविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपयन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बन का आवंटन ।	ाई गई योजना - इसकी प्रयो ज्यता - संकेत संस् र
Sub: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision / Thereunder applicability thereof - Allotment of code number.	Act, 1952 and the scheme frame
/ महोदय. Sirs,	and the second s
1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाए और विभागों के साथ दि अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है की :	से कर्मधारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होत
1. Your factory/establishment with all its branches and departments Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 with effect from	and the schools formed the
1. आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग ————————————— का का अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।	र्यं करती है जिसपर अधिनियम की घाश 1(3) बै
(I) Your factory is engaged in	one of the Industries specified in us Provisions Act, 1952 is applicable
2 आपकी स्थापना के लिए वर्गीकृत की गई है जिस भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविषय निधि एवं प्रकिण उ	पपर अधिनियम की धांरा 1(3) (बी) के अनुसार पलम्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।
(ii) Yours is an establishments classified asthe Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 19 Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b	to which
3. आपकी फेक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अ सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भुत नहीं है। अत: आपकी स्थापना के 3	धिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनसार मारत
(1-क) जाँच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वरूप की है; लेदि सत्यापित हो जाए। Code No. is issued subject to further verification of the representation of the representation on the basis of enquiries made/info	कन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख
further verification of your records for prior periods.	onimum araiding diri is soujou w

(1-ख) अधिनियम की घारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छि रूप से विस्तार के Por UBIQUITOUS SIGNS PAT. LTD.